तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8-11-21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत मुख्यालय ग्राम पंचायत उतराना पर पेश हुई फर्द मौका रिपोर्ट मौके पर मजमे आम भू. अ. निरीक्षक से ली गई। फर्द मौका रिपोर्ट शामिल की गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.12.10 18:39:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

40/प्रा.पत्र/2019

पीठासीन अधिकारी
युगान्तर शर्मा (R.A.S.)

उनवान

1. मौहम्मद हुसैन आत्मज अलीमुद्दीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 25 लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
--प्रार्थी---

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
--अप्रार्थी--

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा
136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 8-11-2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता सं. 126 व खाता संख्या 128 [illegible] 2073-2076 वाके ग्राम कांकराडूगर तहसील [illegible] बून्दी में स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आराजी का प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त है। प्रार्थी का वास्तविक नाम मौहम्मद हुसैन आत्मज अलीमुद्दीन है लेकिन राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना जांच पड़ताल

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:39:28 IST
Reason: SelfAttested

§3§ यह कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहम्मद हु...

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का नाम मोहम्मद हुसैन के स्थान पर रहीमुद्दीन आत्मज अली मुद्दीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को सरकारी योजना के लाभ से वंचित होना पड़ता है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम रहमुद्दीन के स्थान पर वास्तविक नाम मोहम्मद हुसैन दर्ज किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में चिन्हित किया गया पत्रावली अभियान के तहत मुख्यालय ग्राम पंचायत उतराना में पेश हुई। प्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पत्रावली से प्रकरण अधिकार घोषणा का पाया जाता है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया गया है। जो कानून पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र कानून पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है, प्रार्थी अधिकार घोषणा का वाद-पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। यह [illegible] पत्र में बाधित नहीं होगा। पत्रावली फैसल [illegible] से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 8-11-2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:39:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

8 3। यह कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहम्मद

Scanned by CamScanner